



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म०प्र०)



II/निगरानी/रीवा/२०१०/२०१७/१५३८

अल्प आय गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित सम्मान रीवा द्वारा अध्यक्ष
रमाशंकर मिश्रा पिता श्यामकिशोर मिश्रा साकिम खुटेही, तह० हुजूर जिला
रीवा (म०प्र०)

..... निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

अनीता मिश्रा पत्नी तेजप्रताप मिश्रा उम्र ३७ वर्ष C/O अंकुर मिश्रा पता
पुष्पराज नगर .रीवा तह० हुजूर जिला रीवा (म०प्र०)

..... गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदक

निगरानी विरुद्ध निर्णय एव आदेश
कलेक्टर रीवा द्वारा प्रकरण क्र० ५६
अ-२/अपील/२०१५-१६ में पारित
आदेश दिनांक २३/०५/२०१७ के
विरुद्ध

निगरानी अंतर्गत धारा ५० म०प्र०
भू०रा०सं०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं-

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक २३/०५/२०१७ विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर रीवा के न्यायालय में विचाराधीन अपील प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक २०/०९/२०१६ को अपील प्रकरण के प्रचलनशीलता के संबंध में आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन पत्र में प्रकरण की प्रचलनशीलता के संबंध में कई विधिक आधारों पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने आपत्ति के सभी विधिक आधारों पर ध्यान न देकर उस पर निष्कर्ष न देते हये मात्र धारा ५

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-दो/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/1538

अल्प आय गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. विरुद्ध अनीता मिश्रा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री कें.के. द्विवेदी एवं अनावेदक की ओर से श्री आर.एस. सेंगर अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक 56/अ-2/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 23-05-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0क0 जैन) सदस्य 6/3/19</p>